समाचार

लाकडाउन के उल्लंघन पर निगम द्वारा लगातार की जा रही कार्यवाही
(विभिन्न जोनांतर्गत आज लगाया गया 12200 रूपये अर्थदण्ड)

कोरबा 19 मई 2021 –कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु प्रभावशील लाकडाउन का पालन कराने निगम का अमला फील्ड में उतरकर पुलिस विभाग के सहयोग से लगातार कार्यवाही कर रहा है। आज भी निगम के विभिन्न जोनांतर्गत यह कार्यवाही की गई तथा लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर 12200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया एवं लाकडाउन का पालन करने कड़ी हिदायत दी गई।

कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं उसके प्रसार को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा जिले में लाकडाउन प्रभावशील किया गया है। आयुक्त श्री एस. जयवर्धन द्वारा लाकडाउन के नियमों का पालन कराने के निर्देश निगम अधिकारियों को दिए गए हैं। यहां उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यवसायों से संबंधित दुकानों को कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए निर्धारित समय तक खोलने की अनुमति दी गई है किन्तु इस ढील का फायदा उठाकर ऐसी दुकानें भी खोल ली जा रही है जिनको खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। निगम अमले द्वारा इस पर सतर्क नजर रखी जा रही है तथा जहां कहीं भी लाकडाउन के निर्धारित नियमों का उल्लंघन होता है, वहां पर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज बालको जोनांतर्गत कुछ स्थानों पर ऐसी दुकानें खुली मिली, जिन्हें खोलने की अनुमति अभी नहीं है, वहीं बेवजह घूमने, मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों आदि प्रकरणों पर निगम अमले ने कार्यवाही की, दुकानों को बंद कराया, बेवजह घूमने वालों को कड़ी हिदायत दी तथा 5200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। इसी प्रकार कोसाबाड़ी जोनांतर्गत अवैध रूप से ठेला रखने, कपडे की कनात लगाकर सड़क किनारे अतिक्रमण करने, गदंगी फैलाने तथा लाकडाउन का उल्लंघन आदि प्रकरणों पर 5500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार निगम के विभिन्न जोनांतर्गत भी बिना अनुमति प्राप्त दुकानों को खोलने, बेवजह घूमने, मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने आदि विभिन्न प्रकरणों पर कार्यवाही की गई तथा लाकडाउन के पालन करने के संबंध में संबंधितों को कड़ी हिदायत दी गई।

विभिन्न जोनांतर्गत 12200 रूपये लगा जुर्माना – निगम अमले द्वारा पुलिस विभाग के सहयोग से आज लाकडाउन के उल्लंघन एवं अन्य प्रकरणों पर विभिन्न जोनांतर्गत 12200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 5500 रूपये, बालको जोनांतर्गत 5200 रूपये, कोरबा जोनांतर्गत 1000 रूपये एवं दर्री जोनांतर्गत 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाते हुए लाकडाउन के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की कड़ी हिदायत संबंधितों को दी गई।